FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ....सहायक कलक्टर........ मुकाम ....(SDO) बायतु........

........सफी मोहम्मद वगैरा........ बनाम ....श्रीमान तहसीलदार बायतु........

किस्म मुकदमा ....रा० आवेदन 131,136 RLR........ नं. ....324/2021........ सन् ....2021........

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/10/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ....कुम्भसिंह चौधरी........ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....131, 136........ राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....06/12/2021........ को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
06/12/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील मय तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-22/03/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील मय तामील प्राप्त/इन्तजार है। तहसीलदार बायतु को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक-05/04/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 01/06/2022 को पेश हो।
01/06/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/08/22 को पेश हो।
03/08/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी वकील बहस आईन्दा करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 18/10/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर
18/10/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मार्ग अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

सेवा में,

बायतु
जिला – बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–324 / 2021

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. सफी मोहम्मद पुत्र हुसैन 2. अब्दुला खां पुत्र हुसैन 3. बरकत अली पुत्र हुसैन 4. मोहम्मद युसुफ पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी नया गांव नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बायतु

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांकः– 18/10/2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री कुम्भसिंह चौधरी एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी खेत मौजा नया गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1053 / 981 रकबा 4.0693 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 2 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1054 / 981 रकबा 4.0855 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 3 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 981 रकबा 4.0774 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 4 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1052 / 981 रकबा 4.0693 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा नम्बर 981 का भाग था। बाद में प्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान में बंटवाड़ा करवाया गया था जिस पर मूल खसरा नम्बर 981 का विभाजन होकर नये खसरा नम्बर कायम हुए लेकिन लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़ा के अनुसार नहीं करके गलत तरमीम कर दी गई। जिसके कारण लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अन्तर है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान नक्शा लट्ठा ट्रेस व भू–नक्शा पर उक्त खसरा नम्बर की तरमीम मौके पर स्थित सेडों अनुसार नहीं की गई है। तहसीलदार बायतु द्वारा खसरा नम्बर 1053 / 981, 1054 / 981, 981, 1052 / 981 की तरमीम मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट B व वर्तमान में कब्जा अनुसार शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं [illegible]न के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा नया गांव पटवार मण्डल नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 1053/981, 1054/981, 981, 1052/981 रकबा क्रमशः 4.0693, 4.0855, 4.0774, 4.0693 हैक्टेयर की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट B व वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट B आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम दुरस्त करें।

आदेश आज दिनांक 18/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

सहायक कलक्टर (SDO, बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

जिला – बाड़मेर